

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता (राज.)

क्रमांक: 104.....स्था.

दिनांक: 17 अक्टूबर, 2026

—: कार्यालय आदेश :—

स्व. श्री श्रवण कुमार सैन, शेरिशतेदार ग्रेड द्वितीय, न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता कार्य व्यवस्थार्थ जिला एवं सेशन न्यायालय, मेड़ता का राजकीय सेवा में रहते हुए दिनांक 23.08.2026 को निधन हो जाने से उसके पुत्र श्री सूर्यप्रकाश सैन, निवासी ग्राम धामणियाँ पोस्ट बग्गड़ जिला नागौर (राज.) जिनकी जन्म तिथि 02.10.1998 (माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार) को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के तहत लिपिक ग्रेड-II के पद पर पूर्णतया अस्थायी रूप से परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में दो वर्ष के लिए मानदेय रुपये 14600/- प्रतिमाह के आधार पर निम्नांकित वर्णित आदेशों व परिपत्रों में अंकित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती हैं :-

01. वित्त विभाग, राज. सरकार के परिपत्र एफ.6 एफ डी (रूल्स)/2005 दिनांक 13.03.06 के अनुसार मेडी-क्लेम पॉलिसी लेनी होगी तथा चिकित्सा व्यय के पुर्नभरण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों व नवीनतम संशोधन के अध्यधीन होगा।
02. राज्य सरकार के परिपत्र संख्या प.8(1)कार्मिक/क-2/2003(4/04) दिनांक 20.04.04 के अनुक्रम में अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी इस प्रकार नियुक्ति कर्मचारी की सेवा के संबंध में राज्य सरकार के पेंशन नियम 2004 लागू होंगे।
03. वित्त विभाग, राज.सरकार के परिपत्र एफ.1(2)एफ डी (रूल्स)/2006 दिनांक 13.03.06 के अध्यधीन नियुक्ति होगी जिसके अनुसार अभ्यर्थी दो वर्ष तक परिवीक्षा के अधीन होगा। उक्त अवधि में उन्हें केवल मात्र 14600/- प्रतिमाह स्थिर वेतन देय होगा तथा इन्हें अन्य किसी भी प्रकार का भत्ता या परिलाभ देय नहीं होगा व इन्हें वार्षिक वेतनवृद्धि भी देय नहीं होगी। राज्य सरकार के उक्त आदेश के अध्यधीन दो वर्ष के संतोषप्रद परिवीक्षा काल पूर्ण करने के पश्चात् नियमानुसार देय पे मैट्रिक्स लेवल संख्या 5 में वेतन व अन्य परिलाभ देय होंगे।
04. मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के तहत तीन वर्ष की अवधि में कम्प्युटर गति परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी अन्यथा कर्मचारी को वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
05. वित्त विभाग, राज. सरकार के परिपत्र एफ.15(1) एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 31.10.17 के अनुसार कर्मचारी को परिवीक्षाकाल में प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा। उक्त अवकाश के अलावा उन्हें अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा।
06. इनका सेवाकाल पूर्णतया अस्थायी रहेगा, छंटनी किए गए (सरप्लस) कर्मचारियों के उपलब्ध होने पर अथवा इनका कार्य संतोषजनक न होने पर अथवा चरित्र पूर्ववत् सत्यापन संबंधी रिपोर्ट प्रतिकूल प्राप्त होने पर इनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये व बिना नोटिस के तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।
07. इनकी सेवा राज्य सरकार व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा समय समय पर पारित परिपत्रों व नियमों के अध्यधीन होगी।
08. कर्मचारी की नियुक्ति उनके द्वारा प्रस्तुत सभी शैक्षणिक दस्तावेजों व चरित्र के सत्यापन के अध्यधीन रहेगी।

कार्यालय आदेश 104...स्था. दिनांक 17...अक्टूबर, 2026

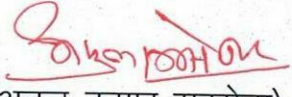
उपरोक्त अभ्यर्थी को इस कार्यालय में नियुक्ति पर उपस्थिति देते समय राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 10 के अनुसार प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक योग्यता तथा आयु सम्बन्धी असल प्रमाण-पत्र व प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।

उपरोक्त अभ्यर्थी द्वारा उपस्थिति देते समय इस आशय का लिखित वचन बन्ध-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि वह परिवार के अन्य सदस्यों का, जो मृत सरकारी कर्मचारी पर आश्रित थे उनका उचित तौर पर भरण-पोषण करेगे।

अभ्यर्थी को इस कार्यालय में आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर कार्यग्रहण करना होगा अन्यथा आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण करने पर उसे किसी प्रकार का यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में इस आदेश का पूर्णरूप से इन्द्राज किया जावे।


(अतुल कुमार सक्सेना) 17/10/26
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
मेड़ता। 17-10-26
दिनांक: 17 अक्टूबर, 2026

क्रमांक: 8755-8756...स्था.

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

01. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा)/(सांख्यिकी), जिला एवं सेशन न्यायालय, मेड़ता।
02. श्री सूर्यप्रकाश सैन पुत्र स्व. श्री श्रवण कुमार सैन, निवासी ग्राम धामणियाँ पोस्ट बग्गड़ जिला नागौर (राज.) (पंजीकृत पावती रसीद सहित)
03. रक्षित पत्रावली।


जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
मेड़ता। 17-10-26